

## SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998 IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bhind (M.P.)

| NTHE COURT OF A.K. Gupta, 5111 G GOLLE  |
|---|
| Complaint or report madeon  |
| of the Complainant.   |
| 10 2111   |
| बायक पविषय प्रधान की जाविताची की निमानी<br>जिल्ला निमानी  |
| MAD) 1800   |
|   |
| Name, parentage, caste and address of accused   |
| Name, parentage, caste and address of the Hailan  |
| डम- 35 ति० इरावा  |
| द्या है। है। से से देवी   |
| [ 115 dg /  |
| The offence, complainant of, and date of, its alleged commission  |
| पर आरोप है कि दिनांक 27 1 2018 मुकाम  |
| मान पर हिना वैध अनुक्राप्त के अपने  |
| ्रे लीटर/पाव/बोतल <u>कृत्य</u> शराब विक्य/परिवहन हेतु रखी।  |
| करके आपने आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय   |
| ा। के देखा अविधि तक की सजा एवं कार्य के उपन कि की   |
| क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।   |
| क्रिक्ट प्रमाण प्राठम स अपने प्राप्त । वि प्राप्त । वि प्राप्त । वि प्रमाण प्राप्त । वि प्रमाण  |
| The fact of the second of the |
| The plea of the accused and his examination (if any)  |
| यून दण्ड से दण्डित करने का निवेदन है।   |
| क्षेत्र हैं। हैं कि   |
| 0-2/1/2   |
| A THE PLAN TO THE PARTY OF THE |
| the value of the value of   |
| If any and in case under clasue(d) clasuse(f) clause(g) of sub-sect of which the offence has been committed.  |

## //निर्णय//

## (आज दिनांक 21 2/2010 को घोषित)

- 01. अभियुक्त के विरूद्ध आबकारी अधि0 1915 की धारा 34–1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। संक्षिप्त विचारणीय होने से समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया।
- 02. सक्षिप्त विचारण किया गया। अतः अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक एवीकारोक्ति के आधार पर आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत आरोपी को दोषी उहराएं जाता है। उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर कोई तथ्य मौजूद नहीं हैं।
- 03. अभियुक्त को आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत न्यायाल उठने तक की अवधि तक की सजा एवं रूपये 500 शब्दों में जिस की सजा एवं रूपये के अर्थदण्ड से दिण्डत किया जाता है। अर्थदण्ड न पटाये जाने पर जाता दिवा साधारण कारावास की सजा भुगतायी जावे।
- 04 जप्तशुदा सम्पत्ति 02 लीटर/पाव/बोतल कर्नी शराब मूल्यहीन एवं मानव उपयोग हेतु हानिकारक होने के कारण अपील अवधि पश्चात् नियमानुसार नष्टकर व्ययनित की जावे। अपील होने की दशा में मान० अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।